11

न्यायालय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /पुनर्विलोकन रिवु - 558-III/2011

श्री पी० के० तिवारी अभि० को द्वारा आज दि. 13-4-11 को प्रस्तुत 13-4-11 क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

146 13-4-11

रणजीत सिंह पुत्र हरनाम जाट, निवासी–कराहल जिला श्योपुर द्वारा मुख्त्यारआम वख्शी सिंह पुत्र हरनाम सिंह जाट, सिक्ख निवासी–ग्राम कराहल जिला श्योपुर म.प्र. ....आवेदक

बनाम

धर्मेन्द्र पुत्र कैलाशनारायण, ब्राह्मण निवासी–ग्राम कराहल जिला श्योपुर म.प्र. ....अनावेदक

पुर्नविलोकन आवेदन अंतर्गत धारा 51 म.प्र.भू राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 14.01.2011 द्वारा पारित राजस्व मंडल के प्रकरण क्रमांक 521III/10 में पारित ।

श्रीमानजी

आवेदक की ओर से आवेदन निम्नलिखित प्रस्तुत है :–

प्रकरण के तथ्य : –

1. यहकि, आवेदक ग्राम कराहल जिला श्योपुर का स्थायी निवासी होकर एक गरीब भूमिहीन व्यक्ति है। ग्राम कराहल की भूमि सर्वे नं0 1406 रकवा 8 बीघा 11 विस्वा काबिल काश्त है जिसमें से 5 बीघा का पट्टा रणजीत सिंह को प्रकरण क्रमांक 11/76–77 अ 19 आदेश दिनांक 20.08.79 से मिला हुआ है।

2. यहकि, अनावेदक द्वारा भूमि सर्वे क्रमांक 1406 रकवा 4 बीघा 11 विस्वा पर कब्जे के आधार पर म.प्र. कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग की जा रही दखल

-----2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक रिव्यु 558–दो/2011 जिला –श्योपुर

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-01-18	आवेदक अधिवक्ता श्री पी0 के0 तिवारी उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता ने प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत किये। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया। 2–यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 521–तीन/2010 में पारित आदेश दिनांक 14.01.11 के विरूद्व प्रस्तुत प्रकरण कमांक रिव्यु 558–दो/11 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। 3– आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 521–तीन/2011 में वर्णित है। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 14.01.11 से किया जा चुका है। 4– प्रकरण कमांक रिव्यु 558–दो/11 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं।	

उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता हैः–

अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभय पक्ष सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य